न्यायालयः— अपर जिला न्यायाधीश, मकराना जिला डीडवाना—कुचामन (राज.)।
पीठासीन अधिकारी :— आशा चौधरी, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दीवानी अपील डिक्री सं. :— 33/2019, सी.आई.एस. नं. 36/2019
सी.एन.आर. नं. :— RJDK080008362019
निर्णय दिनांक :— 19/08/2026

————————————————————————————————————

1. देवीसिंह पुत्र विजयसिंह, उम्र 61 वर्ष,
2. अजीतसिंह पुत्र मूलसिंह, उम्र 58 वर्ष,
3. भंवरलाल पुत्र भागूराम, उम्र 64 वर्ष,
4. छोटूसिंह पुत्र मूलसिंह, उम्र 66 वर्ष,
5. हेमाराम पुत्र पैमाराम, उम्र 61 वर्ष,
6. अन्नीदेवी पत्नी रामूराम, उम्र 65 वर्ष,
   निवासीगण जिवादिया, तहसील मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.।
7. लक्ष्मणसिंह पुत्र डुंगरदान, उम्र 48 वर्ष,
8. महादेवसिंह पुत्र रामप्रताप, उम्र 38 वर्ष,
9. जगन्नाथराम पुत्र दीनाराम, उम्र 42 वर्ष,
   निवासीगण धानणवां, तहसील मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.।

——— अपीलार्थीगण

ब ना म

1. भंवरसिंह पुत्र नारायणसिंह, उम्र 63 वर्ष, निवासी जिवादिया, तहसील मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
4. जिलाधीश महोदय, जिला कार्यालय, नागौर।
5. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नागौर।
6. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, परबतसर।
7. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मकराना।
8. राधादेवी पत्नी आसूराम, उम्र 72 वर्ष, निवासी राडा की ढाणी, जिवादिया, तहसील मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.। (भूतपूर्व सरपंच)
9. जवानाराम उप सरपंच ग्राम पंचायत धानणवा, उम्र 65 वर्ष, निवासी नावद, तहसील मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।
10. सतीश वार्ड पंच वार्ड नं. 11 ग्राम पंचायत धानणवा तहसील मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन, उम्र 61 वर्ष।
11. सुखदेवसिंह पुत्र डूंगरदान, 53 वर्ष, निवासी धानणवा, तहसील मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।
12. बलवीरसिंह पुत्र रामप्रताप, उम्र 32 वर्ष, निवासी धानणवा, तहसील मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।
13. किशनाराम पुत्र दीनाराम, उम्र 32 वर्ष, निवासी धानणवा, तहसील मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।

14. रूपकंवर पुत्री मूलसिंह, उम्र 60 वर्ष, निवासी जिवादिया, तहसील मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।
15. गणपतदास पुत्र भागूराम, उम्र 66 वर्ष, निवासी जिवादिया, तहसील मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।
16. शोभाकंवर पत्नी रामप्रताप, उम्र 51 वर्ष, निवासी धानणवा, तहसील मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।
17. मूलदेवी पत्नी दीनाराम, उम्र 75 वर्ष, निवासी धानणवा, तहसील मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।

——— रेस्पोडेंट्स

<u>उपस्थिति</u> :—

अपीलार्थीगण की ओर से	—	अधिवक्ता श्री प्रेमप्रकाश जोशी।
रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से	—	अधिवक्ता श्री रामनिवास दिवाकर।
रेस्पोडेंट सं. 2 ता 7 की ओर से	—	अपर लोक अभियोजक श्री हरिकृष्ण गोपाल।
रेस्पोडेंट सं. 8 ता 17 की ओर से	—	दिनांक 27.09.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही।

<u>श्री धर्मवीर सिंह रूलानिया, आर.जे.एस., सिविल न्यायाधीश मकराना द्वारा दीवानी मूल प्रकरण सं. 41/05, 121/14 बअनुवान भंवरसिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में दिनांक 05.07.2019 को पारित किये गये निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील</u>

<u>दिनांक :— 19/08/2026</u>

—:: <u>निर्णय</u> ::—

1. इस निर्णय में आगे अपीलार्थीगण देवीसिंह व अन्य को प्रतिवादीगण तथा रेस्पोडेंट भंवरसिंह को वादी से सम्बोधित किया जायेगा।

2. अपीलार्थीगण देवीसिंह व अन्य ने रेस्पोडेंट्स भंवरसिंह व अन्य के विरूद्ध सिविल न्यायाधीश मकराना द्वारा दीवानी मूल प्रकरण सं. 41/05, 121/14 बअनुवान भंवरसिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में दिनांक 05.07.2019 को पारित किये गये निर्णय व डिक्री के विरूद्ध यह अपील पेश की है, जिसका एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

3. वादी भंवरसिंह ने **वाद—पत्र** विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वादी ग्राम जिवादिया का मूल निवासी है, जिसकी ग्राम जिवादिया में चल—अचल सम्पति स्थित है। प्रतिवादीगण सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री सड़क योजन के तहत प्रस्ताव भेजा, जिसकी स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग में आ चुकी है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड बनाए गए है और उसी के

अनुसार सड़क निर्माण किया जाना है। ग्राम जिवादिया में ग्राम मनाना से जिवादिया कटाणी मार्ग से सड़क निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम जिवादिया की आबादी के कटाणी रास्ता खसरा संख्या 30 रकब 7 बीघा 12 बिस्वा खेत की पूर्वी सीमा पर है। खसरा संख्या 30 की पूर्वी सीमा से होकर ग्राम की आबादी में रास्ता प्रवेश करता है। खसरा संख्या 30 एवं 84 के बीच में कटाणी रास्ता है। प्रतिवादीगण कुछ लोगों से मिलकर कटाणी रास्ते के अलावा खातेदारी खेत खसरा संख्या 84 की पूर्वी सीमा पर सड़क निकालना चाह रहे है, जो गैर कानूनी है क्योंकि खसरा संख्या 84 खातेदारीशुदा निजी खेत है, जिस पर सड़क निर्माण किया जाना अवैधानिक है जबकि कटाणी रास्ता मौजूद है। प्रतिवादीगण कटाणी रास्ते के अलावा खसरा संख्या 84 की पूर्वी सीमा पर सड़क निर्माण करने पर आबादी क्षेत्र में वादी के पूर्वजों का भूखण्ड पट्टासुद भूखण्ड स्थित है। उपरोक्त भूमि के कुछ भाग पर वादी के पक्के मकानात है। कुछ भाग खाली है। प्रतिवादीगण कटाणी रास्ते के अलावा सड़क निर्माण खसरा संख्या 84 की पूर्वी सीमा से बनाते है तो आगे वादी का पट्टासुद भूखण्ड आता है इसलिए वादी स्थायी निषेधाज्ञा पाने का वैधानिक अधिकारी है। प्रतिवादीगण राजस्थान सरकार का विभाग है जिसे वाद से पूर्व 2 माह का नोटिस देना आवश्यक है लेकिन मामला अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का है। नोटिस सीमा तक प्रतिवादीगण का निर्माण हो जाने से वादी के वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए वाद पेश करने की इजाजत हेतु धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से पेश कर इजाजत ली गई है। अतः वादी का वाद—पत्र स्वीकार कर जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद फरमाया जावे कि ग्राम मनाना से जिवादिया प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्मित सड़क कटाणी मार्ग नजरी नक्शा में मार्क ए से बी के अलावा अन्यत्र न बनावें अर्थात खसरा संख्या 84 की पूर्वी सीमा पर न बनावे व खसरा संख्या 30 की पूर्वी सीमा पर स्थित कटाणी रास्ते पर ही बनायी जावे।

4. **प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6** के द्वारा **जवाबदावा** इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र का पैरा संख्या 1 इतना ही सही है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क स्वीकृत हुई है तथा सड़क बनाने का कार्य चल रहा

है। राजस्व रेकर्ड में जो भी रास्ता है, उस कटाणी रास्ता से ही सड़क का निर्माण किया जायेगा। सड़क निर्माण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही कटाणी रास्ता में ही निकाला जायेगा, किसी तरह का कोई उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी सिखावट में सड़क का निर्माण नहीं किया है। नियमों के तहत की सड़क का निर्माण किया जा रहा है। प्रतिवादीण द्वारा कटाणी रास्ता की जमीन पर ही सड़क का निर्माण किया जा रहा है, ऐसे में वादी स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादीगण को दो माह का नोटिस दिए बिना वाद चलने योग्य नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

5. **प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 21** की ओर से **जवाबदावा** इस आशय का पेश किया गया कि वाद पत्र का पैरा संख्या 1 इतना ही सही है वादी जिवादिया का रहने वाला है व प्रतिवादीगण संख्या 1 सार्वजनिक निर्माण विभाग से है। दिनांक 07.09.2002 को जो वर्तमान में आम रास्ता चालू है, इसी रास्ते पर धानणवां से झूझारपुरा ग्रेवल सड़क प्रतिवादीगण संख्या 5 द्वारा ग्रेवल सड़क बनायी गई। प्रतिवादीगण ने जो नक्शे में मात्र कटाणी रास्ता का अंकन किया गया है, वहाँ पर प्रस्ताव भेजा है कि यह कटाणी रास्ता कभी भी मौके पर मौजूद नहीं रहा है, वहाँ पर पक्के मकानात पचास वर्षों से बने हुए है। वादी इन मकानों को तुड़वाकर के कटाणी रास्ता निकलवाना चाहता है जबकि वर्तमान में रास्ता पच्चास वर्षों से चला आ रहा है वहाँ सड़क नहीं बनाने दे रहा है। विवादग्रस्त जगह जो कि वादी ने अपनी पट्टाशुद व कब्जाशुद बतायी है, वह सरासर गलत है। इस भूमि में वर्तमान में राजकीय स्कूल, बाउन्ड्री, पानी का होद व लोगों के मकानात बने हुए हैं। वादी जहाँ कटाणी रास्ता बताता है, वहाँ कटाणी रास्ते का अस्तित्व कभी भी मौके पर आज तक नहीं रहा है। राजस्व कर्मियों की गलती से मात्र ट्रेस नक्शे में गलत प्रविष्टि हो गई जबकि नक्शे में दर्शाई गई जगह जिवादिया ग्राम की आबादी बसी हुई है। खसरा संख्या 30 व 84 के बीच कभी भी कटाणी रास्ता बिल्कुल नहीं रहा है, न ही है। वादी भंवर सिंह ने इस टी.आई. का मुख्य आधार अपने पिता नारायण सिंह के नाम से दिनांक 09.07.1956 पट्टा संख्या 80 मनाणा ग्राम पंचायत से जारी होना वाद पत्र में

अंकित किया है व 46800 वर्गफुट भूमि का पट्टा होना अंकित किया है जबकि इस नाप का पाड़ोसियान बीच स्थित भूखण्ड पर न तो वादी का न ही इसके पिता का कभी भी कब्जा ही रहा है व ग्राम पंचायत मनाणा ने भी दिनांक 14.10.2002 को प्रमाण पत्र जारी किया। उक्त नाप का पट्टा जारी नहीं होना बताया है, इससे साफ जाहिर है कि पट्टा पोशीदा तौर पर फर्जी है। प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी पेश की गई है। वैसे भी 46800 वर्गफुट का पट्टा जो कि पौण तीन बीघा जमीन के करीब होता है, का पट्टा जारी करवाने ग्राम पंचायतों को कभी अधिकार नहीं रहा है व इस नाप एवं पड़ोसियान बीच स्थित भूखण्ड की जमीन पर वादी अथवा उसके पिता के न तो मकानात बने हुए है न ही बाड़ा बना हुआ है न ही कभी एक इंच जमीन पर कभी भी कब्जा ही रहा है। इसलिए प्रथमदृष्टया ही पौशीदा तौर फर्जी है जो निरस्त करने काबिल है। इस जमीन पर स्कूल का पानी का होद व लोगों के मकानात बने हुए है व रास्ता पच्चास वर्षों से चालू है व इस विवादग्रस्त पट्टे को लेकर भंवरसिंह बनाम मूलसिंह के नाम से टी.टाई. व वाद विचाराधीन है, जिसमें भंवर सिंह को टी.आई. नहीं मिली है। वादी भंवरसिंह ने जानबूझकर दिनांक 23.09.2002 को रात्रि में विवादग्रस्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया तब ग्रामवासियों द्वारा तहसीलदार मकराना को सूचना करने पर तहसीलदार ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट मांगी गई जो दिनांक 24.09.2003 को तहसीलदार ने रिपोर्ट दी तथा ग्रामवासियों द्वारा पंचायत धानणवां को भी रिपोर्ट दी, इस पर पूर्व सरपंच दीनाराम ने भी पंचायत की आपात बैठक बुलाकर दिनांक 25.09.2002 को प्रस्ताव पारित कर उपरोक्त रास्ता खुलवाने हेतु एसडीओ को निवेदन किया व एसएचओ मकराना को भी दीनाराम सरपंच ने लिखित में निवेदन किया, जिस पर एसएचओ द्वारा 133, 142 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही कर वादी भंवरसिंह के खिलाफ इस्तगासा एसडीएम न्यायालय में पेश किया, जिस पर एसडीएम ने 142 सीआरपीसी के तहत रास्ता खुलवाने के आदेश दिए तथा रास्ता खुलवाया। उपरोक्त प्रकरण की पत्रावली एसडीओ के पास विचाराधीन है। उक्त तथ्यों को वादी भंवरसिंह ने अपने टी.आई. आदेश न्यायालय को अंधकार में रखकर प्राप्त किया है इससे आमजन के हित प्रभावित हुए है, जिससे

आवागमन की भयंकर कठिनाई उठानी पड़ेगी व जो वर्तमान में आम रास्ता चल रहा है उस खसरा संख्या 84 व 84/1 के खातेदारान सवाईसिंह व समदरसिंह व भंवराराम ने भी रास्ते की जमीन सरकार के पक्ष में सरेन्डरनामा लिखकर दिया ताकि सड़क बन सके। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत राजस्थान सरकार के विभाग है जिसे वाद प्रस्तुत करने से पूर्व 2 माह का नोटिस देना आवश्यक है बिना नोटिस दिए वाद पेश नहीं किया जा सकता। वादी को कोई बिनाय दावा पैदा नहीं हुआ। वादी इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब दावा पेश कर वादी का वाद मय हर्जा खर्चा के खारिज किया जावे।

6. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावों के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक विरचित किए गए :–

1. आया कटाणी रास्ता खसरा नंबर 30 एवं 84 के मध्य स्थित है ?

–वादी

2. आया खसरा संख्या 84 की पूर्वी सीमा पर सड़क निकालना गैर कानूनी है?

–वादी

3. आया वादी प्रतिवादीगण को वादपत्र के मद संख्या 11 (अ) में दर्शित निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है ?

–वादी

4. आया प्रतिवादीगण को दो माह का नोटिस दिए बगैर वादपत्र चलने योग्य नहीं है ?

–प्रतिवादीगण

5. आया आम रास्ता खसरा संख्या 84, 84/1 के दक्षिणी पूर्वी तरफ पच्चास वर्षों से लगातार चला आ रहा है ?

–प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 21

6. अनुतोष

7. अपने मामले के समर्थन में वादी ने मौखिक साक्ष्य पी.ड. 01 के रूप में स्वयं को, पी.ड. 02 के रूप में खेमाराम, पी.ड. 3 के रूप में नरपतसिंह, पी.ड.–4 के रूप में शेरसिंह को परीक्षित करवाया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1

लगायत प्रदर्श—11 तक दस्तावेज प्रदर्शित करवाये। प्रतिवादीगण पक्ष की ओर से प्रतिवादीगण देवीसिंह डी.ड. 1, भंवराराम को डी.ड. 2, डी.ड.—3 चतराराम, डी.ड.—4 सवाई सिंह, डी.ड.—5 अजीत सिंह व डी.ड.—6 गणपतदास को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श ए—1 लगायत प्रदर्श ए—06 तक दस्तावेज प्रदर्शित करवाये।

8. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस अन्तिम सुनकर दिनांक 05.07.2019 को वादी द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर प्रतिवादीगण 01 लगायत 06 को यह आदेश दिया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कटाणी रास्ते में ही प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण करवाया जावे, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से यह अपील इस न्यायालय में पेश की जाने पर दर्ज रजिस्टर की गई।

9. न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 05.07.2019 को पारित किया गया निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है अथवा नहीं?

10. बहस अपील सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

11. बहस अपील उभय पक्ष सुनी गई। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व अपीलीय न्यायालय की पत्रावली तथा उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व परिशीलन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा सुझाये गये विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में अपील का निस्तारण निम्न प्रकार से हैः—

12. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि विचारण न्यायालय के द्वारा जो निर्णय व डिक्री पारित की है, उसमें कानूनी भूल की है। मौके पर कोई रास्ता मौजूद नहीं है। वादग्रस्तस्थल पर खसरा नं. 30 व 84 के मध्य कटाणी मार्क मौके पर स्थित है, उसके कोई आलामात नहीं है। स्वयं वादी ने उक्त रास्ते को स्वीकार किया है। स्वयं गवाहान ने खसरा नं. 30 व 84 के मध्य जो रास्ता है, उसे बंद होना बताया है। जिस स्थान को वादी कटाणी रास्ता बताता है, वहां पर प्रतिवादीगण के मकान व बाड़े बने हुए हैं। स्वयं न्यायालय के द्वारा जो मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया, उसकी रिपोर्ट में भी यह तथ्य अंकित है कि उक्त स्थान पर मकानात और

बाड़े बने हुए हैं। वास्तव तें मौके पर खसरा नं. 84 व 84/1 के पूर्व में स्थित रास्ता है, वह मौके पर चल रहा है। अपीलार्थीगण की ओर से जो साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी, उनकी साक्ष्य का विचारण न्यायालय के द्वारा अवलोकन नहीं किया गया। वादी ने अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया है कि खसरा नं. 30 व 84 के बीच स्थित रास्ता सवाईसिंह व समंदरसिंह ने बंद कर खसरा नं. 84 के पूर्वी सीमा पर रास्ता डाल दिया है। वादी ने स्वयं के पट्टे की कोई मिसल पेश नहीं की है। खसरा नं. 84 व 84/1 के पूर्व में स्थित रास्ता है और ग्रेवल सड़क बनी हुई है, अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 05.07.2019 को पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर वादिया का दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे।

13. इसके विपरीत अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने दौराने बहस कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा जो दिनांक 05.07.2019 को निर्णय व डिक्री पारित की गई है, वह वैध, शुद्ध, औचित्यपूर्ण व विधि के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाकर विचारण न्यायालय के दिनांक 05.07.2019 के निर्णय व डिक्री को पुष्ट किया जावे।

14. बहस अपील उभय पक्ष सुनी गई। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व अपीलीय न्यायालय की पत्रावली तथा उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व परिशीलन किया गया। विचारण न्यायालय के दिनांक 05.07. 2019 को पारित निर्णय व डिक्री के संबंध में सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो विचारण न्यायालय के समक्ष वादी ने दावा बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसमें **वादी पी.ड. 01 भंवरसिंह** ने अपने मुख्य परीक्षण के शपथ—पत्र में कथन कथित किये कि वह ग्राम जिवादिया का मूल निवासी है, जिसकी चल—अचल सम्पत्ति ग्राम जिवादिया में स्थित है। ग्राम जिवादिया से मनाना के बीच आम कटाणी रास्ता है, जिस पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह सड़क ग्राम मनाना से जिवादिया के बीच कटाणी रास्ते पर सड़क का निर्माण हो चुका है। सड़क कटाणी रास्ता

खसरा नं. 63 है, जो कि सरकारी रास्ता है। ग्राम जिवादिया की आबादी के चिपता ही खसरा नं. 30 व 84 स्थित है। खसरा नं. 30 के पूर्वी सीमा एवं खसरा नं. 84 की पश्चिमी सीमा के बीच में कटाणी रास्ता ग्राम आबादी में प्रवेश करता है। खसरा नं. 30 व 84 के खातेदार सवाईसिंह, समदरसिंह, देवीसिंह ने कटाणी रास्ता बंद कर खसरा नं. 84 की पूर्वी सीमा पर रास्ता डाल दिया। कटाणी रास्ता बंद कर दिया। खसरा नं. 84 के आगे आबादी में उसका भूखण्ड स्थित है, जिसमें से रोड़ निकालना चाहते हैं। समदरसिंह, सवाईसिंह, देवीसिंह ने मिलकर सार्वजनिक निर्माण के अधिकारी प्रतिवादी सं. 05 व 06 को गलत जानकारी देकर कटाणी रास्ता के अलावा खसरा नं. 84 की पूर्वी सीमा एवं उसके भूखण्ड पर सड़क बनाने हेतु राजनैतिक प्रभाव से बनवाने की कोशिश की तथा उसको एलानियां धमकी दी, तब उसने वाद किया व स्थगन प्राप्ति किया। सम्वत् 2004 में पैमाईश हुई ट्रैस नक्शा बनाया गया, जिसकी मूल प्रति पेश की, जो कि प्रदर्श—01 है, जिसमें खसरा नं. 30 व 84 के बीच ही रास्ता डिमारकेट किया हुआ है। उसने सन् 2000 तहसीलदार मकराना द्वारा हल्का पटवारी से रिपोर्ट तैयार करवाई थी, मौका रिपोर्ट दिनांक 27.06.2000 प्रदर्श—02 है। प्रतिवादी सं. 01 ता 06 राजस्थान सरकार सार्वजनिक निर्माण के अधिकारी है, जिन्होंने उसके वाद को सही मानकर वाद को पूर्णतया स्वीकार कर लिया है, जबकि प्रतिवादी सं. 07 से 21 तक प्रतिवादीगण को न तथ्यों की जानकारी है न ही इनके कोई हित निहित है। मात्र समदरसिंह, सवाईसिंह व देवीसिंह के कहने मात्र से पक्षकार बने हैं। खसरा नं. 84, 84/1 की खातेदारी सवाईसिंह, समदरसिंह की खातेदारी की भूमि है, जहां कोई रास्ता नहीं है। जान—बूझकर सवाईसिंह, समदरसिंह रास्ता बदलना चाते हैं तथा उक्त खसरों के आगे उसके आबादी भूखण्ड में से कोई रास्ता नहीं है। साक्ष्य के दौरान वादी ने **दस्तावेजी साक्ष्य** में प्रदर्श—04 असल बंटवारा, प्रदर्श—05 उक्त बंटवारा का हिन्दी अनुवाद पेश कर प्रदर्शित करवाया। दौराने **जिरह** गवाह ने कथन किए कि 200 रूपये की पट्टा जारी करने की रसीद लगती है, जो उसने पेश नहीं की है। जमा की गई राशि का उल्लेख पट्टे प्रदर्श—03 में है। बही प्रदर्श—04 जो उसने पेश की है, जो कि मनाणा ठाकुर के वफादार रामनारायण व्यास की

हस्तलिखित है। बही पहले लिखी हुई है, जो उसके दादाजी ने ठाकुर साहब सावंतसिंह मनाणा वाले के सामने लिखाई थी। उक्त बही पर सावंतसिंह के हस्ताक्षर नहीं है। यह पट्टा 180 गुणा 260 फुट का है। जो दावा उसने पेश किया है, उसमें खसरा नं. 63 लिखा हुआ है या नहीं, उसे पता नहीं। उसने खतौनी खसरा नं. 63 की नकल पेश की है। उसने जो दावा पेश किया है, उसमें खसरा नं. 63 कटाणी रास्ता है, जो कि मौके पर चालू है। उक्त दावे में पट्टा संख्या, मिसल संख्या, विवादित भूखण्ड माप, लम्बाई, चौड़ाई व पड़ौस नहीं लिखे जाने बाबत् प्रश्न पूछे जाने पर गवाह ने कथन किया कि उसे याद नहीं है। इस भूखण्ड में एक होद बना हुआ है, पानी की टंकी खुली है, जो कि पूर्व सरपंच के द्वारा बनाई गई थी, जो कि उसी दिन कब्जा करने की नीयत से बनाये गये थे, जो कि उसी दिन टूट भी गई थी। यह कहना गलत है कि उक्त भूखण्ड में जो होद बना हुआ है, वह सरकारी हो बल्कि वह उसके स्वयं का है। यह कहना गलत है कि ग्राम पंचायत धानणवां द्वारा व सरपंच की अध्यक्षता में रास्ता बंद करने के संबंध में एस.डी.एम. साहब मकराना को लिखत निवेदन किया गया था, जिस पर उसके विरूद्ध इस्तगासा दर्ज किया गया था, जिस पर पुलिस इंतजाम से अतिक्रमण हटाया गया था परन्तु यह कार्यवाही एडीजे परबतसर द्वारा रिमाण्ड कर दी गई थी, जिस पर पुनः विचारण किया जाकर खारिज की गई। इसी आदेश में दोनों पक्षों को रास्ता बंद नहीं करने हेतु पाबंद किया गया था, जिसकी रिवीजन उसने एडीजे कोर्ट परबतसर में कर रखी है। एस.डी.एम. साहब के आदेश से अतिक्रमण एक बार हटाया था। उसने जो दावा पेश किया है, उसमें उसके पिताजी नारायणसिंह का नाम का पट्टा बना हुआ लिखा है या नहीं, उसे पता नहीं। उसके भूखण्ड पर अजीतसिंह का पट्टा बना हुआ है, जिस पर उसका कब्जा नहीं है, उसका कब्जा है। उच्छबं कंवर का पट्टा 195 गुणा 160 फिट का बना हुआ है, जिस पर उसी का कब्जा है। मकान बने हुए हैं। उसी में वह रहती है। उच्छब कंवर उसकी भाभी है, जो कि उनके परिवार के साथ ही रहती है, जिनका भरण–पोषण वे ही करते हैं। उसके पक्ष में उच्छब कंवर द्वारा कोई लिखा–पढी नहीं की गई है परन्तु उनकी सम्पत्ति का वही हकदार है।

उच्छब कंवर का पट्टाशुदा मकान जिसमें वह शामिल रहता है, उसके पश्चिमी तरफ मूलसिंह का मकान है, जो कि सींवाजोड़ है। मूलसिंह के बाद सवाईसिंह, समंदरसिंह का सींवाजोड़ मकान है। सवाईसिंह, समंदरसिंह के सींवाजोड़ मकानात पश्चिमी ओर देवीसिंह, रामसिंह, अमर, लक्ष्मणसिंह के मकान आये हुए हैं। सुरेन्द्रसिंह, प्रतापसिंह, योगेन्द्रसिंह के मकानात आये हुए हैं, जो कि गांव के पड़ौसी हैं। विवादित रास्ते पर पी.डब्ल्यू.डी. ने ग्रेवल सड़क नहीं बनाई। पक्की डामर सड़क प्रधानमंत्र योजना के तहत बनी हुई है, जो खसरा नं. 30 व 84/1 के दक्षिणी सीमा तक बनी हुई है।

15. **गवाह पी.ड. 02 खेमाराम, पी.ड. 03 नरपतसिंह व पी.ड. 04 शेरसिंह** ने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ–पत्र में कथन किए कि ग्राम मनाना से एक कटाणी रास्ता ग्राम जिवादिया एवं जिवादिया से आगे नावद, धानणवां आदि गावों तक पहुंचता है, जो कि कदीमी है। उसकी समझ समझाईश से कटाणी रास्ता पर आवागमन देखा है। कटाणी रास्ता सवाईसिंह, समदरसिंह के खेतों के बीच में कटाणी रास्ता है, जिससे होकर आवागमन होता रहा है। सवाईसिंह, समदरसिंह ने कटाणी रास्ते को बंद कर दिया और अपने खेत की पूर्वी सीमा पर रास्ता डाल दिया है। रास्ता दोनों खेतों के बीच में से होकर आबादी में प्रवेश करता था। रास्ता बंद कर दिया है तथा पूर्वी सीमा पर डाल दिया है। पूर्वी सीमा पर रास्ता डालने से आगे वादी भंवरसिंह का बाड़े में रास्ता निकालना चाहता है, जबकि वहां कोई रास्ता नहीं है। दौराने **जिरह गवाह पी.ड. 02** ने कथन किए कि कटाणी रास्ते पर मकान करीब 25 वर्ष से बने हुए हैं। भंवरसिंह के थाने से अगुणी तरफ बसों का रास्ता है। सड़क अधूरी है जो दक्षिण की तरफ है। आगे रास्ता बंद है, फिर कहा कि भाईचारे से बसे उधर से जाती है। भंवरसिंह हमेशा रास्ता बंद करता है। उसे पता नहीं कि भंवरसिंह के थाले में स्कूल का होद कहां बना हुआ है। पानी का होद उसके प्लॉट में बना है, जो धर्मादे के काम आता है। उसने करीब पांच साल पहले बच्चों के पीने के लिए बनाया था। उसने शपथ–पत्र में समदरसिंह व सवाई सिंह के खेत की पूर्वी सीमा पर डाल दिया, यह उसने नहीं लिखाया था। दस बार भंवरसिंह ने रास्ता बंद किया है, जिसका उसे पता है। यह सही है कि उच्छब कंवर के मकान के बाद में मूलसिंह

का है। मूलसिंह के बाद में सवाईसिंह, समंदरसिंह का है। सवाईसिंह और समंदरसिंह के बाद में देवीसिंह, रामसिंह, लक्ष्मणसिंह, अमरसिंह, विजयसिंह के मकान हैं। यह सही है कि इसमें इनके पक्के मकानात बनाये हुए हैं। उसने देखा नहीं कि मूलसिंह के खेडे के और भंवरसिह के प्लॉट के उत्तरी—दक्षिणी—पूर्वी तरफ कोई रास्ता चलता हो। उसने इस रास्ते से बसों को जाते—आते नहीं देखा। दौराने **जिरह गवाह पी.ड. 03** ने कथन किए कि भंवरसिंह उसके दादा का बेटा है। विवादित भूखण्ड की चतुर्थ सीमाएं एवं नाप—चौक वह नहीं बता सकता। विवादित भूखण्ड कितनी बीघा का है, वह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि कटाणी रास्ता मौजूद नहीं हो। यह सही है क समंदरसिंह व सवाईसिंह के पक्के मकानात बने हुए हैं। दौराने **जिरह गवाह पी.ड. 04** ने कथन किए कि जिवादिया में उसका कोई मकान नहीं आया हुआ है। यह सही है कि सवाईसिंह, समंदरसिंह ने कटाणी रास्ता बंद कर दिया है। शपथ—पत्र में जो सवाईसिंह, समंदरसिंह ने कटाणी रास्ते को बंद कर दिया, वह गलत लिखा हुआ है। शपथ—पत्र में पूर्वी सीमा पर रास्ता डाल दिया है, वह गलत लिखा हुआ है।

16. प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में **डी.ड. 01 देवीसिंह, डी.ड. 02 भंवराराम, डी.ड. 03 चतराराम, डी.ड. 04 सवाईसिंह, डी.ड. 05 अजीतसिंह व डी.ड. 06 गणपतदास** को परीक्षित करवाया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ—पत्र में कथन किए कि वादी भंवरसिंह का कोई भी पट्टाशुद भूखण्ड जिवादिया में नहीं है। विवादित स्थल पर उनका कब्जा है। उनके नाम से पट्टा बना हुआ है, मकानात बने हुए हैं। विवादग्रस्त भूखण्ड पर प्रतिवादी अजीतसिंह के पट्टाशुदा कब्जाशुदा बाडे के उत्तरी तरफ भागू का मकान, स्कूल, पानी का होद व स्कूल की बाउण्ड्री बनी हुई है। दक्षिणी तरफ सवाईसिंह, समंदरसिंह का खेड़ा कब्जाशुदा आया हुआ है। पूर्व में आम रास्ता मनाणा धानणवां, जिवादिया का है व आगे मूलसिंह का खेड़ा खातेदारी का आया हुआ है तथा पश्चिम में मूलसिंह के मकानात आये हुए हैं। खसरा नं. 84 व 84 / 1 के दक्षिणी पूर्वी तरफ गत 50 वर्षों से आम रास्ता चला आ रहा है। खसरा नं. 30 व 84 के बीच कटाणी रास्ता नहीं है। रेकर्ड में गलत इन्द्राज हो गया है। आम रास्ता खसरा नं. 84 व 84 / 1

के दक्षिणी पूर्वी तरफ जिवादिया मनाणा धानणवां गत 50 वर्षों से चला आ रहा है, जिस पर वादी ने लाठी के बल पर नाजायज अतिक्रमण किया, जिसको ग्राम पंचायत ने तहसीलदार को लिखकर खुलवाया था, जिस पर वादी ने पुनः अतिक्रमण करने पर एस.डी.एम. ने 133, 142 सी.आर.पी.सी. के तहत कार्यवाही कर रास्ता खुलवाया था। खसरा नं. 30 व 84 के बीच कभी कटाणी रास्ता न तो था और न ही है। देवीसिंह वगैरह के मकान बने हुए हैं। मात्र राजस्व रेकर्ड ट्रेस मैप में गलती से प्रविष्टि होने से वादी रास्ता बनाना चाहता है, जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दौराने **जिरह गवाह डी.ड. 01** ने कथन किये कि खसरा नं. 84 व खसरा नं. 84/1 के पूर्वी दिशा से जो रास्ता निकलता है, उसे खुलवाने के लिए आवेदन किया था। खसरा नं. 84 व 84/1 के पूर्व दिशा की ओर से जो रास्ता है, वह कटाणी रास्ता नहीं है। उसने हमेशा से ही यह रास्ता चलता देखा है। यह सही है कि उसने उसका, अजीतसिंह, मूलसिंह, सवाईसिंह व भंवरलाल के पट्टे पेश नहीं किए। उन्होंने पंचायत को रास्ता खुलवाने के लिए आवेदन किया था। विवादित स्थान पर भंवरसिंह का बाड़ा नहीं है। खसरा सं. 84 व 84/1 के पश्चिम में जो रास्ता रिकॉर्ड में दर्शित है, वह रास्ता न होकर खेत है। यह कहना गलत है कि खसरा नं. 30 व 84 के बीच कटाणी रास्ते पर उसने व सवाईसिंह ने अतिक्रमण कर लिया हो और आबादी के रास्ते में उन्होंने निर्माण कर लिया हो बल्कि मकानात उसके दादाजी के समय से बने हुए हैं। खसरा नं. 84 व 84/1 के पूर्वी सींव पर रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही उन्होंने 2005 में की थी। दौराने **जिरह गवाह डी.ड. 02** ने कथन किए कि भंवरसिंह के पट्टा बना हुआ है या नहीं, उसे पता नहीं। उसके मकान के दक्षिण में वादी भंवरसिंह की काकी उच्छब कंवर का मकान व बाड़ा आया हुआ है। उसे यह पता नहीं है कि कटाणी रास्ता किन–किन खसरों के बीच से चलता है। दौराने **जिरह गवाह डी.ड. 03** ने कथन किए कि अजीतसिंह के मकान के पश्चिम की तरफ वादी की काकी उच्छब कंवर का प्लॉट है, अजखुद कहा कि भंवरसिंह का कोई प्लॉट नहीं है। यह सही है कि टांके की जमीन उन्होंने दी थी और स्कूल की बची हुई जमीन में यह टांका बनाया गया था। यह कहना गलत है कि खसरा नं. 84 के खातेदार

सवाईसिंह और समंदरसिंह हो। खसरा नं. 84 का रकबा कितना है, उसे पता नहीं। उसे मालूम नहीं है कि खसरा नं. 30 व 84 के बीच रास्ते को समंदरसिंह और सवाईसिंह ने बंद कर दिया हो। उसने वहां रास्ता नहीं देखा। **गवाह डी.ड. 04** ने दौराने **जिरह** कथन किया कि यह सही है कि उसके खातेदारी की जमीन है, जिसका खसरा नं. 30, 84 व 84/1 है। खसरा नं. 30 व 84 के बीच में कोई कटाणी रास्ता नहीं है एवं अन्य रास्ता भी नहीं है। प्रदर्श—02 में खसरा नं. 30 व 84 के बीच कटाणी रास्ता दिखाया हुआ है लेकिन वह पैमाईश के समय से ही गलत दर्ज हो रखा है, मौके पर कोई रास्ता नहीं है। यह सही है कि 30 व 84 का खेत एक ही है। खसरा नं. 30 पहले से ही उसके और उसके भाई समंदरसिंह के कब्जे में चली आ रही है। खसरा नं. 84 की खातेदारी उसे 2003 में एस.डी.ओ. कोर्ट में मुकदमा करने के बाद मिल गई थी। यह सही है कि उसने खसरा नं. 84 की खातेदारी लेने के लिए एसडीओ कोर्ट में मुकदमा किया था, उस समय कटाणी रास्ता हटाने का दावा नहीं किया था। यह सही है कि खसरा नं. 84 के उत्तरी सींव पर आबादी की भूमि है। उसका मकान खसरा नं. 84 की उत्तरी सींव पर बना हुआ है। यह कहना गलत है कि उसने कटाणी रास्ते पर कब्जा कर लिया हो और नया रास्ता बनाना चाहता हो। **गवाह डी.ड. 05** ने दौराने **जिरह** कथन किए कि खसरा नं. 30 व 84 के बीच नक्शे में कटाणी रास्ता दिखाया गया है, अजखुद कहा कि जो कि गलती से लिखा हुआ है। खसरा नं. 30 व 84 मौके पर मिले हुए हैं, जिनके खातेदार सवाईसिंह व समंदरसिंह हैं। यह सही है कि प्रधानमंत्री सड़क कटाणी रास्ते पर भी बन सकती है। यह सही है कि कटाणी रास्ते को दूसरी जगह राजस्व रेकर्ड में दर्शाने के लिए उसने कोई कार्यवाही नहीं की थी। **गवाह डी.ड. 06** ने दौराने **जिरह** कथन किया कि विवादित रास्ता खसरा नं. 30 व 84 के बीच हो तो उसे पता नहीं। खसरा नं. 84 व 84/1 के खातेदार कौन हैं, उसे पता नहीं। यह सही है कि कटाणी रास्ते पर सड़क बने तो कोई आपत्ति नहीं है।

17. पत्रावली पर आई उपरोक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के संदर्भ में विचारण न्यायालय द्वारा अवधारित किये गये विचारणीय बिन्दुओं का विवेचन

निम्नानुसार है :–

18. जहां तक कि दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण के समय ही प्रतिवादी सं. 8 की मृत्यु दिनांक 15.11.2011 को, प्रतिवादी सं. 13 की मृत्यु दिनांक 05.10.2011 को, प्रतिवादी सं. 09 की मृत्यु दिनांक 30.09.2014 को, प्रतिवादी सं. 16 की मृत्यु दिनांक 18.10.2010 को, प्रतिवादी सं. 21 की मृत्यु दिनांक 05.02.2018 को हो चुकी थी लेकिन उसके बावजूद भी वादी ने मृतक प्रतिवादीगण के कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लिये जाने बाबत् मियाद अंदर प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया है तथा मृतकों की जानकारी होते हुए भी वादी ने विचारण न्यायालय से तथ्य छुपाया है, ऐसे में वादी का सम्पूर्ण वाद ही एबेट हो चुका है और विचारण न्यायालय ने जो डिक्री वादी के पक्ष में पारित की है, वह प्रतिवादीगण की मृत्यु हो जाने के बाद उनके कायम मुकामान की अनुपस्थिति में की गई समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध होने से कानूनन अवैध व शून्य है, इस संबंध में सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण की मृत्यु होने के बाबत् अधिवक्ता ने किसी प्रकार की सूचना नहीं दी है और न ही विचारण न्यायालय के समक्ष आज दिनांक तक कोई मृत्यु प्रमाण–पत्र पेश किया गया है। किसी अधिवक्ता के द्वारा किसी पक्षकार की मृत्यु होने के संबंध में संसूचित करने का क्या प्रावधान है, इस संबंध में न्यायालय के द्वारा **आदेश 22 नियम 10–क सी.पी.सी., 1908** का अध्ययन किया गया :–

10–क. न्यायालय को किसी पक्षकार की मृत्यु संसूचित करने के लिए प्लीडर का कर्तव्य –– वाद में पक्षकार की ओर से उपसंजात होने वाले प्लीडर को जब कभी यह जानकारी प्राप्त हो कि उस पक्षकार की मृत्यु हो गई है तो वह न्यायालय को इसकी ईत्तिला देगा और तब न्यायालय ऐसी मृत्यु की सूचना दूसरे पक्षकार को देगा और इस प्रयोजन के लिए प्लीडर और मृत पक्षकार के बीच हुई संविदा अस्तित्व में मानी जायेगी।

19. उक्त विधि के प्रकाश में विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो विचारण के दौरान जब प्रतिवादीगण की मृत्यु हो गई थी तो इस संबंध में उनके अधिवक्ता द्वारा कोई सूचना विचारण न्यायालय को दी

गई हो और कोई मृत्यु प्रमाण—पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किये गये हो, यह विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से दर्शित नहीं होता है।

20. इस संबंध में न्यायालय द्वारा आदेश 22 नियम 2 सी.पी.सी. का अध्ययन किया गया।

आदेश 22 :— पक्षकारों की मृत्यु, उनका विवाह और दिवाला— नियम 2 :— जहां कई वादियों या प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है, वहां प्रकिया :— जहां एक से अधिक वादी या प्रतिवादी हैं और उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है और जहां वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी वादी या वादियों को या अकेले उत्तरजीवी प्रतिवादी या प्रतिवादियों के विरूद्ध बचा रहता है, वहां न्यायालय अभिलेख में उस भाग की एक प्रविष्टि कराएगा और वाद उत्तरजीवी वादी या वादियों की प्रेरणा पर या उत्तरजीवी प्रतिवादी या प्रतिवादियों के विरूद्ध आगे चलेगा।

21. इस प्रकार उक्त विधि के अनुसार हालांकि यह सही है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण सं. 8, प्रतिवादी सं. 13, प्रतिवादी सं. 09, प्रतिवादी सं. 16 व प्रतिवादी सं. 21 की मृत्यु बाबत् उनके अधिवक्ता की ओर से कोई सूचना विचारण न्यायालय को नहीं दी गई थी और न ही इस संबंध में कोई मृत्यु प्रमाण—पत्र पेश किये गये थे लेकिन चूंकि उक्त मृतक प्रतिवादीगण के अतिरिक्त शेष प्रतिवादीगण विचारण के समय जीवित थे, ऐसे में यह माना जा सकता है कि विचारण न्यायालय ने आदेश 22 नियम 2 सी.पी.सी. में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार ही विचारण करते हुए दिनांक 05.07.2019 का निर्णय व डिक्री पारित की है, ऐसे में प्रतिवादी सं. 8, प्रतिवादी सं. 13, प्रतिवादी सं. 09, प्रतिवादी सं. 16 व प्रतिवादी सं. 21 की मृत्यु हो जाने पर उनके अधिवक्ता द्वारा कोई सूचना विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं दिये जाने से वादी का वाद एबेट हो गया हो, यह नहीं माना जा सकता है।

22. किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उस पक्षकार के अधिवक्ता के द्वारा इस संबंध में न्यायालय को उक्त पक्षकार की मृत्यु के संबंध में

सूचना देना और उक्त पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि के बारे में सूचना देना आवश्यक है या नहीं, इस संबंध में न्यायालय को निम्न न्यायिक दृष्टांत से मार्गदर्शन प्राप्त होता है :–

1. Binod Pathak & Ors. Vs. Shankar Choudhary & Ors.
Civil Appeal No. 7706 of 2025

However, we are of the view that providing merely an information with regard to the fact of death is not sufficient compliance of the Rule 10A of the CPC. unless and until the counsel furnishes the information with regard to the details of the persons on whom and against whom the right to sue survives and the information under Rule 10A of the CPC. and the object behind it would remain incomplete as the parties would still be labouring to inquire who are the legal representatives and find out as to upon whom and against whom the right to sue survives.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर सी.पी.सी. के आदेश 22 नियम 10ए के तहत मात्र मृत्यु के संबंध में सूचना प्रदान करना ही नियम 10ए का पर्याप्त अनुपालना नहीं है, जब तक कि अधिवक्ता उन व्यक्तियों के विवरण के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करता, जिन पर और जिनके विरूद्ध मुकदमा करने अधिकार नियत है। पक्षकार (वादी) को यह पता होना चाहिए कि किसके विरूद्ध मुकदमा करने का अधिकार निहित है।

23. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत की रोशनी में हस्तगत वाद का अवलोकन किया जावे तो यदि प्रतिवादीगण सं. 8, 13, 09, 16 व 21 मृत्यु दौराने दावा ही हो गई थी तो इसके संबंध में निर्धारित समय में प्रतिवादीगण के अधिवक्ता का यह कर्तव्य था कि वह इस संबंध में विचारण न्यायालय को सूचित करे और इनके विधिक प्रतिनिधि कौन हैं, इसके बारे में भी विचारण न्यायालय को सूचित करे लेकिन इस संबंध में अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई सूचना विचारण न्यायालय के समक्ष दी गई हो, यह विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट नहीं होता है। साथ ही अपीलार्थीगण ने अपील पेश करते समय ही मात्र इस संबंध में कथन कथित किया है और जिन प्रतिवादीगण की मृत्यु हो चुकी है, उनके मृत्यु प्रमाण–पत्र पेश नहीं

किये हैं। उनके विधिक उत्तराधिकारी कौन हैं, इस बाबत् ही अंकित नहीं है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो क्षणभर के लिए यह मान भी लिया जाये कि प्रतिवादीगण सं. 8, 13, 09, 16 व 21 की मृत्यु हो गई है तो भी वादी के पास शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध आदेश 22 नियम 2 सी.पी.सी. के तहत वाद लाने का अधिकार बचा रहता है। अतः अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने जो प्रतिवादीगण सं. 8, 13, 09, 16 व 21 की मृत्यु की होने के आधार पर दावा/डिक्री अबेट किये जाने बाबत् उज्र लिया है और उसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2019 को पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा है, वह उपरोक्त विवेचनानुसार माने जाने योग्य नहीं है। ऐसे में उक्त आधार पर वादी का वाद अबेट नहीं किया जा सकता है।

<u>विवाद्यक सं. 01 ता 03</u>

24. जहां तक कि विवाद्यक सं. 01 ता 03 को साबित करने का भार वादी पर है, जिसके संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित किये गये निष्कर्ष के संबंध में सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो वादी ने अपने शपथ—पत्र में उक्त कथन कथित किये कि वह ग्राम जिवादिया का मूल निवासी है, जिसकी चल—अचल सम्पत्ति ग्राम जिवादिया में स्थित है। ग्राम जिवादिया से मनाना के बीच आम कटाणी रास्ता है, जिस पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्वीकृति प्राप्त हुई है। ग्राम मनाना से जिवादिया के बीच कटाणी रास्ते पर सड़क का निर्माण हो चुका है। सड़क कटाणी रास्ता खसरा नं. 63 है, जो कि सरकारी रास्ता है। ग्राम जिवादिया की आबादी के चिपते ही खसरा नं. 30 व 84 स्थित है। खसरा नं. 30 के पूर्वी सीमा एवं खसरा नं. 84 की पश्चिमी सीमा के बीच में कटाणी रास्ता ग्राम आबादी में प्रवेश करता है। इस प्रकार वादी अपनी साक्ष्य में ग्राम जिवादिया से मनाना जाने के लिए खसरा नं. 30 व खसरा नं. 84 के बीच में कटाणी रास्ता होना कथन कथित करता है। इस बाबत् वादी ने अपनी साक्ष्य के दौरान प्रदर्श—01 जमाबंदी पेश की है, साथ ही वादी ने कथन किया कि कटाणी रास्ते का खसरा नं.

63 है, जिसके संबंध में ट्रैस नक्शा प्रदर्श—02 पेश किया है। इस संबंध में ट्रैस नक्शा प्रदर्श—02 का अवलोकन किया जावे तो उसमें खसरा नं. 30 के पूर्व और खसरा नं. 84 के पश्चिम के बीच में रास्ता दिखाया गया है। उक्त ट्रैस नक्शा बनाये जाने का वर्ष सम्वत् 2004 अंकित है।

25. वादी ने अपनी साक्ष्य में कथन कथित किए कि खसरा नं. 30 के पूर्व और खसरा नं. 84 के पश्चिम के बीच जो कटाणी रास्ता है, उसका खसरा नं. 63 है, इस बाबत् वादी ने जो जमाबंदी पेश की है, उसमें खसरा नं. 63 को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दिखाया गया है लेकिन उक्त खसरा नं. 63 कटाणी रास्ते के रूप में खसरा नं. 30 व 84 के बीच स्थित कटाणी रास्ता हो, यह तथ्य वादी की साक्ष्य से साबित नहीं होता है क्योंकि ट्रैस नक्शा प्रदर्श—02 में खसरा नं. 63 को खसरा नं. 84 के पूर्व में दिखाया गया है, न कि खसरा नं. 30 के पूर्व और खसरा नं. 84 के पश्चिम के बीच में जो रास्ते के रूप में अंकित है, उक्त दस्तावेजी साक्ष्य में दर्शित किया गया है बल्कि उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार तो खसरा नं. 63, खसरा नं. 84 के पश्चिम में न होकर खसरा सं. 84 के पूर्व में स्थित है अर्थात् वादी ने खसरा नं. 30 व खसरा नं 84 के बीच में जो कटाणी रास्ता है, उसका खसरा नम्बर क्या है, इस बाबत् कोई दस्तावेजात पत्रावली पर पेश नहीं किये हैं। उक्त कटाणी रास्ता कितना लम्बा—चौड़ा है, इस बाबत् भी वादी ने कोई दस्तावेजात पत्रावली पर पेश नहीं किये हैं। यहां तक कि वादी ने अपने शपथ—पत्र में भी कथन कथित नहीं किया है कि खसरा नं. 30 व खसरा नं. 84 के मध्य के कटाणी रास्ते की कितनी लम्बाई—चौड़ाई है? खसरा नं. 30 व 84 के बीच में कटाणी रास्ता हो, इस संबंध में हालांकि प्रतिवादी डी.ड. 01, डी.ड. 02, डी.ड. 03, डी.ड. 04, डी.ड. 05 व डी.ड. 06 ने अपनी साक्ष्य में कथन कथित किया है कि खसरा नं. 30 व खसरा नं. 84 के बीच में मौके पर कटाणी रास्ता नहीं है। रिकॉर्ड में गलत दर्ज हो गया है। दौराने जिरह गवाह डी.ड. 04 ने कथन किए कि प्रदर्श—02 में खसरा नं. 30 व 84 के बीच कटाणी रास्ता दिखाया हुआ है लेकिन वह पैमाईश के समय से ही गलत दर्ज हो रखा है, मौके पर कोई रास्ता नहीं है। दौराने जिरह गवाह डी.ड. 05 ने कथन किए कि खसरा नं. 30 व 84 के बीच नक्शे में कटाणी

रास्ता दिखाया गया है, अजखुद कहा कि जो कि गलती से लिखा हुआ है।

26. इस प्रकार हालांकि प्रतिवादीगण की ओर से परीक्षित गवाह डी.ड. 01 से डी.ड. 06 अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ–पत्र और गवाह डी.ड. 04 व डी.ड. 05 दौराने जिरह स्वीकार करते हैं कि रिकॉर्ड में खसरा नं. 30 व खसरा नं. 84 के बीच में कटाणी रास्ता दिखाया गया है लेकिन उक्त रास्ता गलत दिखाया गया है और मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है लेकिन प्रतिवादीगण की ओेर से परीक्षित उक्त गवाहान के कथनों से भी यह तथ्य साबित नहीं होता है कि खसरा नं. 30 व खसरा नं. 84 के मध्य अंकित रास्ता कितना लम्बा व कितना चौड़ा है। साथ ही वादी ने भी इस संबंध में सरकारी विभाग के कोई भी दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाये हैं, जिससे कि साबित हो कि खसरा नं. 63, जिसे वादी खसरा नं. 30 व खसरा नं. 84 के बीच का कटाणी रास्ता बताता है, वही खसरा नं. 63 वास्तविक रूप से खसरा नं. 30 व खसरा नं. 84 के बीच का कटाणी रास्ता है। हालांकि वादी की साक्ष्य से इस हद तक साबित होता है कि खसरा नं. 30 व खसरा नं. 84 के बीच में कटाणी रास्ता है लेकिन इस संबंध में उक्त कटाणी रास्ते की कितनी लम्बाई–चौड़ाई है, यह तथ्य वादी के कथनों से साबित नहीं होता है। स्वयं वादी ने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ–पत्र में कथन कथित किये हैं कि खसरा नं. 30 व 84 के खातेदार सवाईसिंह, समदरसिंह, देवीसिंह ने कटाणी रास्ता बंद कर खसरा नं. 84 की पूर्वी सीमा पर रास्ता डाल दिया है। साथ ही वादी ने दौराने जिरह कथन किया है कि उच्छब कंवर का पट्टा 195 गुणा 160 फिट का बना हुआ है, जिस पर उसी का कब्जा है, मकान बने हुए हैं और उसी में वह रहती है। उच्छब कंवर उसकी भाभी है, जो कि उनके परिवार के साथ ही रहती है, जिनका भरण–पोषण वे ही करते हैं। उसके पक्ष में उच्छब कंवर द्वारा कोई लिखा–पढी नहीं की गई है परन्तु उनकी सम्पत्ति का वही हकदार है। उच्छब कंवर का पट्टाशुदा मकान जिसमें वह शामिल रहता है, उसके पश्चिमी तरफ मूलसिंह का मकान है, जो कि सींवाजोड़ है। मूलसिंह के बाद सवाईसिंह, समंदरसिंह का सींवाजोड़ मकान है। सवाईसिंह, समंदरसिंह के सींवाजोड़ मकानात के पश्चिमी ओर देवीसिंह, रामसिंह, अमर, लक्ष्मणसिंह के

मकान आये हुए हैं। इस संबंध में वादी की ओर से परीक्षित हुए गवाह पी.ड. 02 ता पी.ड. 04 की मुख्य परीक्षा में भी उक्त तथ्य का वर्णन है कि उक्त कटाणी रास्ते को सवाईसिंह, समंदरसिंह ने बंद कर दिया है। गवाह डी.ड. 01 लगायत डी.ड. 06 ने मुख्य परीक्षा के शपथ–पत्र में कथन कथित किये कि विवादग्रस्त भूखण्ड पर प्रतिवादी अजीतसिंह के पट्टाशुदा कब्जाशुदा बाडे के उत्तरी तरफ भागू का मकान, स्कूल, पानी का होद व स्कूल की बाउण्ड्री बनी हुई है। दक्षिणी तरफ सवाईसिंह, समंदरसिंह का खेड़ा कब्जाशुदा आया हुआ है। पूर्व में आम रास्ता मनाणा धानणवां, जिवादिया का है व आगे मूलसिंह का खेड़ा खातेदारी का आया हुआ है तथा पश्चिम में मूलसिंह के मकानात आये हुए हैं।

27. इस प्रकार वादी स्वयं ही खसरा नं. 30 व खसरा नं. 84 के मध्य स्थित उक्त कटाणी रास्ते पर प्रतिवादीगण के मकानात, बाड़े, स्कूल, पानी का होद, स्कूल की बाउण्ड्री, उच्छब कंवर, मूलसिंह, समंदरसिंह व अन्य व्यक्तियों के मकानात बने होना अपनी जिरह में स्वीकार करता है। वादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन कथित किया कि उक्त रास्ते को मौके पर प्रतिवादीगण सवाईसिंह व समंदर सिंह के द्वारा बंद कर रखा है। इस प्रकार स्वयं वादी और प्रतिवादीगण की साक्ष्य से यह तथ्य भी साबित होता है कि वादी जिस खसरा नं. 30 व खसरा नं. 84 के मध्य जो कटाणी रास्ता बताता है, उक्त रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है बल्कि बहुत सारे मकान, होद, स्कूल, स्कूल की बाउण्ड्री आदि बने हुए हैं। स्वयं वादी की मुख्य परीक्षा में किए गए कथनानुसार उक्त रास्ता बंद है और मौके पर उक्त रास्त को काम में नहीं लाया जा रहा है।

28. वादी ने आगे मुख्य परीक्षा में कथन कथित किये कि समंदरसिंह, सवाईसिंह, देवीसिंह ने मिलकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी प्रतिवादी सं. 05 व 06 को गलत जानकारी देकर कटाणी रास्ता के अलावा खसरा नं. 84 की पूर्वी सीमा एवं उसके भूखण्ड पर सड़क बनाने हेतु राजनैतिक प्रभाव से बनवाने की कोशिश की तथा उसको एलानियां धमकी दी, तब उसने हस्तगत वाद पेश किया। वादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन कथित किया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण

विभाग को स्वीकृति प्रदान की गई। वादी ने न्यायालय के समक्ष दावा पेश करने का कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा खसरा नं. 84 की पूर्वी सीमा पर सड़क निकालना चाह रहे है, जहां पर आबादी क्षेत्र है तथा उसके पूर्वजों के भूखण्ड स्थित है और फिर बाद में उसके मकान हैं, बताता है, साथ ही उक्त स्थान पर प्रतिवादी सार्वजनिक निर्माण विभाग ने यह धमकी दी कि सड़क वादी के भूखण्ड से होकर ही निकलेगी, इस बाबत् सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा अपने जवाबदावे में उक्त तथ्य का वर्णन किया गया है कि उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई धमकी वादी को नहीं दी गई है। बिना किसी वाद कारण के ही वादी ने उक्त दावा पेश किया है, साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा अपने जवाबदावे में तथ्य वर्णित किये गये हैं कि खसरा नं. 30 व खसरा नं. 84 के बीच में कोई कटाणी रास्ता हो तो उन्हें जानकारी नहीं है। सड़क का निर्माण कटाणी रास्ते पर ही किया जायेगा। अतः ऐसी स्थिति में वादी ने हस्तगत वाद–पत्र विचारण न्यायालय न्यायालय के समक्ष पेश किया है।

29. सर्वप्रथम वादी को यह तथ्य साबित करना था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग मकराना के द्वारा खसरा नं. 30 व खसरा नं. 84 के बीच जो कटाणी रास्ता है, उस पर किसी प्रकार की सड़क का निर्माण करने के लिए सरकार की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग मकराना को किसी प्रकार की विज्ञप्ति, टेण्डर आदि जारी किया गया है या नहीं या उक्त निर्माण करवाने बाबत् किसी प्रकार का बजट आवंटित किया गया है या नहीं, जिसके आधार पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा मौके पर आकर सड़क निर्माण किया जा रहा था लेकिन वादी ने इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की है, जिससे कि यह साबित होता कि ग्राम जिवादिया में सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़क बनाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा किस स्थान से किस स्थान तक सड़क बनाई जानी है। उक्त तथ्यों का अंकन करते हुए मौके पर किसी प्रकार की जांच रिपोर्ट बनाई गई हो, ऐसी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादी की ओर से दौराने साक्ष्य पेश नहीं की गई है। जबकि प्रतिवादी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपने जवाबदावे में स्पष्ट रूप से तथ्य वर्णित किये गये हैं कि उनके द्वारा वादी को किसी

प्रकार की कोई धमकी खसरा नं. 84 की पूर्वी सीमा पर सड़क बनाने हेतु नहीं दी गई थी। अतः ऐसी स्थिति में वादी को यह साबित करना था कि दिनांक 20.06.2005 को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उसे धमकी दी गई थी कि उक्त दिनांक को प्रतिवादीगण सड़क निर्माण करने के लिए खसरा नं. 84 की पूर्वी सीमा पर कब्जा कर सड़क निर्माण करवाने के लिए मौके पर आये थे और उनके द्वारा वादी को उक्त स्थान पर सड़क बनाने की धमकी दी थी। यहां तक कि वादी की ओर से परीक्षित करवाये गये गवाह पी.ड. 02 ता पी.ड. 04 ने भी अपनी साक्ष्य में उक्त दिनांक को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी या कर्मचारी मौके पर आये हों और उन्होंने सड़क निर्माण करने के लिए खसरा नं. 84 की पूर्वी सीमा पर कब्जा कर सड़क निर्माण करने बाबत् वादी को धमकी दी हो, इस बाबत् अपनी साक्ष्य में कोई कथन कथित नहीं किये हैं। अतः ऐसी स्थिति में वादी को उक्त दावा पेश करने का वाद कारण भी उत्पन्न हुआ हो, यह तथ्य वादी अपनी साक्ष्य से साबित करने में सफल नहीं रहा है।

30. उपरोक्त विवेचन से यह तथ्य साबित है कि वादी ने जो वाद–पत्र पेश कर ग्राम जिवादिया में ग्राम मनाना से जिवादिया में कटाणी रास्ते पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा सड़क बनाये जाने के बाबत् जो अनुतोष चाहा है, इस बाबत् उपरोक्त विवेचन व वादी तथा प्रतिवादीगण की साक्ष्य से यह तथ्य साबित है कि मौके पर कटाणी रास्ता खुला नहीं है। वहां पर घरों के निर्माण, होद, स्कूल, स्कूली की बाउण्ड्री आदि बनी हुई हैं। यहां तक कि वादी को उक्त तथ्य ज्ञात होते हुए भी उक्त बने हुए मकानों, स्कूल, स्कूल की बाउण्ड्री, पानी के होद को हटाने के लिए कोई आज्ञात्मक अनुतोष वादी द्वारा नहीं चाहा गया है। मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। जिस वादग्रस्तस्थल के बाबत् वादी अनुतोष चाहता है, वहां पर पूर्व से ही निर्माण कार्य हो रखे हैं लेकिन उन्हें हटाने के बाबत् वादी की ओर से हस्तगत वाद में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। साथ ही जिस स्थान पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क बनाई जानी है, उसके बाबत् कोई बजट स्वीकृत हुआ हो या राज्य सरकार का कोई आदेश पारित हुआ हो या सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा मौके पर ट्रैस नक्शा बनाया

गया हो, ऐसी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादी और प्रतिवादीगण की ओर से पेश नहीं की गई है। यहां तक कि उक्त रास्ते की कितनी लम्बाई–चौड़ाई है, इस बाबत् भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी ने उक्त दावा उपरोक्त विवेचन से बिना किसी वाद कारण के ही विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया है।

31. हस्तगत वाद में वादी ने उक्त अनुतोष भी चाहा है कि खसरा नं. 84 के पूर्वी सीमा पर किसी प्रकार की कोई सड़क नहीं बनाई जावे, इस संबंध में वादी ने अपनी साक्ष्य में कथन कथित किये कि उक्त खसरा नं. 84 की पूर्वी सीमा पर वादी के भूखण्ड है, जिस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़क बनाना चाहता है। वादी का भूखण्ड खसरा नं. 84 की पूर्वी सीमा पर स्थित हो, इस संबंध में वादी ने अपनी साक्ष्य के दौरान उक्त भूखण्ड का पट्टा प्रदर्श–03 पेश किया है। प्रतिवादीगण ने वादी के उक्त पट्टे के बाबत् ग्राम पंचायत मनाना से सूचना के अधिकार के तहत जो सूचना उपलब्ध कराई है, उसे प्रतिवादीगण की ओर से प्रदर्श ए–14 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है, जिसका अवलोकन किया जावे तो उसमें उक्त तथ्य का वर्णन है कि पट्टे की मिसल सं. 03 दिनांक 09.07.1956 को श्री नारायण सिंह के नाम से जारी पट्टे की पत्रावली की नकल चाही गई थी, जिससे संबंधित कार्यालय में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। वादी ने जो स्वयं का भूखण्ड खसरा नं. 84 की पूर्वी सीमा पर आबादी क्षेत्र में होना बताया है, उसका पट्टा सं. 03 दिनांक 09.07.1956 का हो, सर्वप्रथम उक्त पट्टे में उक्त तथ्य का वर्णन नहीं है कि उक्त पट्टा खसरा नं. 84 की पूर्वी सीमा के आगे आबादी क्षेत्र में हो। साथ ही उक्त पट्टे के बाबत् प्रतिवादीगण की ओर से जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श ए–14 पेश किया गया है, उसके अनुसार ग्राम पंचायत मनाना में उक्त पट्टे का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

32. वादी ने अपनी साक्ष्य में कथन कथित किया कि खसरा नं. 84 व खसरा सं. 84/1 के खातेदार सवाईसिंह व समंदरसिंह हैं और उक्त भूमि उनकी है, जहां पर कोई रास्ता नहीं है। इन खसरों में उसके भूखण्ड में से कोई रास्ता नहीं है। इस संबंध में वादी ने अनुतोष चाहा है कि खसरा नं. 84 की पूर्वी सीमा पर सड़क नहीं बनाई जावे। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है

कि सड़क निर्माण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। सड़क निर्माण करने का कार्य एक दिन की प्रक्रिया मात्र नहीं है। सड़क निर्माण से पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिस जगह सड़क बनाई जानी है, उसके संबंध में सर्वेक्षण किया जाता है तथा यातायात व जनसांख्यिकी, भू—तकनीकी जांच, ड्रेनेज, जल निकासी, सड़क सुरक्षा मानक, लागत आकलन व डी.पी.आर. एवं पर्यावरण व प्रशासनिक अनुमतियां आदि लेनी आवश्यक होती है। साथ ही जिस जगह सड़क बनाई जानी है, उसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार टेण्डर जारी किया जाता है तथा उसके पश्चात् कोटेशन व बजट भी स्वीकृत किया जाता है। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात् सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण करने का कार्य किया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में जो वादी ने खसरा नं. 84 की पूर्वी सीमा पर सड़क निकालना गैर कानूनी है, के बाबत् अनुतोष चाहा है, वह उपरोक्त विवेचन से वादी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। हालांकि विचारण न्यायालय ने दिनांक 05.07.2019 को निर्णय पारित करते समय प्रतिवादीगण द्वारा खसरा सं. 30 व 84 में कटाणी रास्ता नहीं होने के संबंध में कोई भी सकारात्मक साक्ष्य नहीं देना व उक्त खसरों के मध्य रास्ता स्थित होना एवं खसरा सं. 84 की पूर्वी सीमा पर सड़क निकालना गैर—कानूनी होना माना है। इस संबंध में पत्रावली पर प्रतिवादीगण की ओर से पेश किये गये प्रदर्श—05ए के अवलोकन से भी खसरा नं. 84 व 84/1 के पूर्व में रास्ता होना दर्शित हो रहा है लेकिन उक्त दस्तावेजी साक्ष्य में उक्त रास्ता कितना लम्बा—चौड़ा है, इस बाबत् कोई तथ्य अंकित नहीं है। इस संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से पेश जवाबदावे में तथ्य अंकित किये गये हैं कि कटाणी रास्ते पर सड़क का निर्माण किया जा सकता है और उपरोक्त विवेचन तथा वादी व प्रतिवादीगण की साक्ष्य से खसरा नं. 30 व 84 के मध्य कटाणी रास्ता है, जो कि बंद है। साथ ही खसरा नं. 84 की पूर्वी सीमा पर भी कटाणी रास्ता है। हालांकि उक्त दोनों रास्तों की कितनी लम्बाई—चौड़ाई है, इस बाबत् कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य उपरोक्त विवेचन से पत्रावली पर नहीं है, जिससे कि साबित हो कि उक्त रास्तों की लम्बाई—चौड़ाई कितनी है। चूंकि

सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कटाणी रास्ते पर सड़क बनाई जाती है। वादी ने खसरा नं. 84 की पूर्वी सीमा पर सड़क निकालने को गैर कानूनी माने जाने बाबत् अनुतोष चाहा है, लेकिन उक्त अनुतोष उपरोक्त विवेचन से वादी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। सामान्यतः सड़क किस रास्ते पर बनाई जानी है, इसका निर्धारण करने का काम सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है, जिसके द्वारा मौके की स्थिति को देखकर जांच करने के पश्चात् ही सड़क निर्माण का कार्य किया जाता है। हालांकि उपरोक्त विवेचन से खसरा सं. 30 व 84 के मध्य तथा खसरा नं. 84 की पूर्वी सीमा दोनों तरफ ही कटाणी रास्ते हैं। अतः ऐसी स्थिति में उक्त खसरा नं. 84 की पूर्वी सीमा पर सड़क बनाना गैर कानूनी कैसे हो सकता है, यह वादी ने स्पष्ट नहीं किया है। स्वयं वादी ने अपने शपथ–पत्र में उक्त तथ्य का वर्णन किया है कि कटाणी रास्ते पर सड़क का निर्माण विधिनुसार किया जा सकता है लेकिन हस्तगत प्रकरण में वादी इस कारण से उपरोक्त अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि वादी को उक्त वाद–पत्र में कोई कारण ही उत्पन्न हुआ हो, यह उपरोक्त विवेचन से वादी साबित करने में सफल नहीं रहा हैं। हालांकि वादी ने जो खसरा नं. 30 व खसरा नं. 84 के मध्य कटाणी रास्ता है, उसे साबित तो किया है लेकिन वादी व प्रतिवादीगण की साक्ष्य से साबित है कि खसरा नं. 30 व 84 के मध्य मकानात, होद, स्कूल, स्कूल की बाउण्ड्री इत्यादि बने हुए हैं, जिनको हटाने के संबंध में वादी ने कोई कार्यवाही नहीं की है व न ही अनुतोष चाहा है, साथ ही वादी ने जो खसरा नं. 30 व 84 के मध्य रास्ता होना बताया है, उक्त रास्ते की लम्बाई–चौड़ाई कितनी है, इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है और न ही इस संबंध में कोई पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध हो सकी है, अतः ऐसी स्थिति में विवाद्यक सं. 01 ता 03 के संबंध में जो विचारण न्यायालय द्वारा निष्कर्ष पारित किया गया है, वह विधि सम्मत नहीं है, ऐसे में जो वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया है, वह उसे प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से उक्त विवाद्यक सं. 01 ता 03 वादी के विरूद्ध विनिश्चित किये जाते हैं।

विवाद्यक सं. 04 व 05

33. विवाद्यक सं. 04 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर तथा विवाद्यक सं. 05 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण सं. 07 ता 21 पर है, जिसके संबंध में दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने कथन किये कि प्रतिवादीगण को दो माह का नोटिस दिए बगैर ही दावा पेश किया गया है, जो कि चलने योग्य नहीं है तथा आम रास्ता खसरा सं. 84 व 84/1 के दक्षिणी पूर्वी तरफ पचास वर्षों से लगातार चला आ रहा है, ऐसे में विवाद्यक सं. 04 व 05 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किये जावे, इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो हस्तगत प्रकरण स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के संबंध में है, जिसके संबंध में प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रतिवादीगण को दो माह का नोटिस नहीं दिया गया है और आम रास्ता खसरा नं. 84 व 84/1 के दक्षिणी पूर्वी तरफ पचास वर्षों से लगातार चला आ रहा है किन्तु उक्त अनुतोष के बाबत् प्रतिवादीगण की ओर से कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। चूंकि प्रतिवादीगण ने उक्त अनुतोष के संबंध में कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है, ऐसे में विवाद्यक सं. 04 प्रतिवादीगण एवं विवाद्यक सं. 05 प्रतिवादीगण सं. 07 ता 21 के विरूद्ध तय किये जाते हैं।

34. चूंकि वादी को अपना वाद अपने पैरों पर खड़े होकर साबित करना होता है और वह प्रतिवादीगण की कमजोरियों का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। हस्तगत प्रकरण में वादी अपने वाद को अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करने में सफल नहीं रहा है, ऐसे में उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से वादी विवाद्यक सं. 01 ता 03 को अपने पक्ष में साबित नहीं कर पाया है और प्रतिवादीगण विवाद्यक सं. 04 एवं प्रतिवादीगण सं. 07 ता 21 विवाद्यक सं. 05 को अपने पक्ष में साबित करने में सफल नहीं रहे हैं, ऐसे में विवाद्यक सं. 01 ता 03 वादी के विरूद्ध व विवाद्यक सं. 04 प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 07 ता 21 विवाद्यक सं. 05 के विरूद्ध तय किये जाते हैं।

विवाद्यक सं. 06 अनुतोष

35. चूंकि वादी विवाद्यक सं. 01 ता 03 को अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतः

असफल रहा है और विवाद्यक सं. 04 व 05 को प्रतिवादीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं, ऐसे में वादी, प्रतिवादीगण के विरूद्ध चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। फलतः उपरोक्त विवेचन व संबंधित विधि में प्रतिपादित सिद्धांत की रोशनी में विचारण न्यायालय के द्वारा जो दिनांक 05.07.2019 को वादी की ओर से पेश दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर डिक्री किया है, वह वैध, शुद्ध, औचित्यपूर्ण व विधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, ऐसे में अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2019 को पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त कर वादी के वाद को उपरोक्तानुसार खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: <u>आदेश</u> ::—

36. परिणामतः अपीलार्थीगण देवीसिंह व अन्य की ओर से प्रत्यर्थीगण भंवरसिंह व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सं. 33/2019, क.नं. 36/2019 स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2019 को पारित निर्णय व डिक्री वैध, शुद्ध, औचित्यपूर्ण व विधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से अपास्त की जाती है। निर्णय की एक प्रति मय अभिलेख विचारण न्यायालय को प्रेषित की जावे।

(आशा चौधरी)
अपर जिला न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना—कुचामन (राज.)

37. आदेश/निर्णय आज दिनांक 19.08.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(आशा चौधरी)
अपर जिला न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना—कुचामन (राज.)